



न्यायालय-न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (जू.डि.), महारौनी, ललितपुर।

परिवाद संख्या-2038/2022

मर्दन बनाम कन्नू आदि

थाना -बानपुर, जिला ललितपुर।

दिनांक-14.11.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवाद साक्ष्य परिवादी अन्तर्गत धारा 200 दं.प्र.सं.में नियत है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत परिवाद मर्दन द्वारा विपक्षीगण कन्नू आदि के विरुद्ध योजित किया है। परिवाद कथानक के समर्थन में परिवादी द्वारा स्वयं को धारा 200 दं.प्र.सं. में अभी तक परीक्षित नहीं कराया है। पत्रावली दिनांक 19.10.2022 से बयान अन्तर्गत धारा 200 दं.प्र.सं. में नियत चली आ रही है परन्तु पर्याप्त अवसर देने के पश्चात भी परिवादी द्वारा अपने साक्ष्य को न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया, न ही वह स्वयं उपस्थित आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी उक्त परिवाद पर बल नहीं देना चाहता है। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों व साक्ष्य के अवलोकन से विपक्षी को तलब करने हेतु आधार पर्याप्त नहीं है।

उपरोक्त विवेचना तथा परिवाद के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये साक्ष्य के अभाव में परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद धारा 203 दं.प्र.सं. के तहत निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद धारा 203 दं.प्र.सं. के तहत निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

(अतुल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/
सिविल जज(जू.डि.) महारौनी,
ललितपुर।